छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर

//अधिसूचना//

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30.05.19

क्रमांक एफ 10–3/2019/16 : राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक 50 दिनांक 02.02.2017 एवं आदेश क्रमांक एफ 10–3/2019/16 अटल नगर, रायपुर दिनांक 12/02/2019 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित योजना **"मिनीमाता कन्या विवाह योजना"** को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

30.5.019
(एफ0केरकेट्टा)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10–3/2019/16 **अटल नगर, रायपुर, दिनांक** 30.05.19

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग), मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0),
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
5. समस्त जिला कलेक्टर .... (छ0ग0),
6. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर (छ0ग0),
7. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0),
8. संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ...(छ0ग0),

...2...

9. एन0आई0सी0 शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अटल नगर की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने हेतु,
10. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर अधिसूचना की एक प्रति संलग्न प्रेषित कर उक्त अधिसूचना की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

30-5-2019

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

D:\Netam sir 2019\adhisuchana.doc

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी–3, सी, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 02/02/17

क्रमांक 50 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना " राजमाता कन्या विवाह सहायता योजना" में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है:–

राजमाता कन्या विवाह सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम राजमाता कन्या विवाह सहायता योजना होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत रूपये 20,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी।

(iii) अन्य किन्ही भी योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले विवाह सहायता के अतिरिक्त यह सहायता उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात किसी अन्य योजना का लाभ लेने पर भी इस योजना का लाभ हितग्राही द्वारा लिया जा सकेगा ।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) यह योजना महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह अथवा निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी।

(ii) पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की प्रथम दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।

(iii) योजना के लाभ हेतु आवेदिका का मण्डल में पंजीयन, योजना आवेदन दिनांक से 90 दिन पूर्व होना अनिवार्य होगा ।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) योजना के तहत आवेदन विवाह दिनांक से 90 दिवस तक मान्य किया जावेगा ।

(ii) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारित के श्रम कार्यालय में समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) विवाह के समर्थन हेतु ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/विवाह के लिये पंजीकृत सामाजिक संस्था/कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(iv) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न कर अनिवार्य होगा ।

(v) योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 30 कार्यदिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(vi) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय, का नंबर, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vii) आधार नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा ।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी /श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी ।

(ई) भुगतान की प्रकिया :–

(i) रूपये 20,000 आवेदिका/माता/पिता के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जावेगा ।

(घ) अन्य विवरण :-

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी ।
(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / /2215 - 2225 रायपुर, दिनांक 02/02/17

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
9. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
10. एन आई सी शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
11. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेपित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी, रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 03/10/13

कमांक 34 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन की अधिसूचना कमांक एफ 10–4/2010/16, रायपुर, दिनांक 04–03–2010 तथा अधिसूचना कमांक एफ 10–4/2010/16, रायपुर दिनांक 03–07–2012 एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिसूचना कमांक 14, रायपुर, दिनांक 27–11–2012, अधिसूचना कमांक 24 दिनांक 24–01–2013 तथा अधिसूचना कमांक 32 दिनांक 08–07–13 सामूहिक विवाह योजना में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती हैः–

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया–

(i) आवेदक विवाह के तीन माह तक आवेदन कर सकते हैं।

उपरोक्त अधिसूचना, तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृ०क० / /1334-1342

रायपुर, दिनांक 3/10/13

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)

5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

(4)

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 08/07/13

क्रमांक 32 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–4/2010/16, रायपुर दिनांक04–03–2010, "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" के अधिसूचना क्रमांक 14, रायपुर दिनांक 27–11–2012 एवं अधिसूचना क्रमांक 24 दिनांक 24–01–2013 सामूहिक विवाह योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतःस्थापित करती है–

सामूहिक विवाह योजना–

(ई) भुगतान की प्रकिया–

(iii) विवाह की पुष्टि होने की दशा में भी राशि रूपये 15,000/– एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा पुत्री/पिता/माता के नाम से देय होगी।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृष्ठांकन क्र0 / / 809-821

रायपुर, दिनांक 08/07/13

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी ....छ0ग0)

11. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ...... (छ0ग0)

12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका .... कार्यपा अधिकारी, जनपद पंचायत ....

13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपर इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

o/c सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 27/11/12

कमांक 14 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएँ बनाती है :–

(1) **सामूहिक विवाह योजना** :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार विवाह हेतु सहायता योजना 2010 होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत रूपये 5,000/– प्रति विवाह सहायता एवं इसके अतिरिक्त रूपये 2,000/– सामूहिक विवाह के आयोजकों को प्रति विवाह अलग से देय होगी।

(iii) अन्य किन्ही भी योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले विवाह सहायता के अतिरिक्त यह सहायता उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात किसी अन्य योजना का लाभ लेने पर भी इस योजना का लाभ हितग्राही द्वारा लिया जा सकेगा

(iv) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) यह योजना महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह अथवा निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी।

(ii) पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।

योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

(i) आवेदिका को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा।

(ii) आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला श्रमिक के स्वयं अथवा निर्माण श्रमिक की पुत्री के स्वयं का होना चाहिए। निर्माण श्रमिक (पिता/माता) का नही।

(iii) महिला श्रमिक स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन कमांक अंकित करना होगा।

(iv) निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा। सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा।

(ई) भुगतान की प्रकिया :–

(i) सामूहिक विवाह के आयोजन की प्रतीक्षा किये बिना पात्र पाए जाने पर स्वीकृति–पत्र जारी करते हुए, स्वीकृति–पत्र में स्पष्ट किया जाए के रूपये पांच हजार एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन के दिन आवेदिका को प्रदान किए जाएंगे।

(ii) सामूहिक विवाह के आयोजकों को भी आयोजन की व्यवस्था करने के लिए एक हजार रूपये प्रति विवाह की दर से राशि स्वीकृति कर एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा आयोजक को भुगतान किया जाएगा।

(iii) एक विवाह की पुष्टि होने की दशा में भी पांच हजार रूपये की राशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा आवेदिका को देय होगी।

(फ) अन्य विवरण :-

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

<u>प्रसूति सहायता योजना</u> :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना का नाम <u>छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार प्रसूति योजना 2010</u> होगा।

(ii) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरूष हिताधिकारी पंजीबद्ध हो एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी हो।

(iii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा। जिसके अनुसार छह सप्ताह के प्रसूति अवकाश एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रूपये 5,000/- की सहायता देय होगी। प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न होने की दशा में मण्डल द्वारा रूपये 5,000/- के अतिरिक्त रूपये 1,000/- और देय होगा।

(iv) प्रसूति सहायता योजना अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी।

(v) प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैद्य उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा।

(iv) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(i) निर्माण श्रमिक चाहे पुरूष हो या स्त्री, पति या पत्नि मे से कोई भी निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा।

(ii) किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नही दिया जावेगा।

(iii) ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल को निधि से मासिक अभिदाय जमा करने की चूक करते हैं उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(ii) आवेदन करने पर आवेदन पत्र की जांच उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय द्वारा इसे अनुशंसा सहित मण्डल को जावेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा। सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा।

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :–

(i) प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उपरोक्तानुसार राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा एक मुश्त राशि एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से संबंधित श्रम कार्यालय को आवेदक को भुगतान हेतु प्रेषित किया जावेगा।

(ii) आवेदक को भुगतान श्रम कार्यालय सुनिश्चित करेंगे।

(फ) अन्य विवरण :–

त्ति योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों हेतु छात्रवृत्ति योजना 2010 होगा।

(ii) परिवार की दो संतानों की सीमा के अधीन रहते हुए पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की ऐसी समस्त संताने जिन्होंने निम्न लिखित परीक्षाओं मे से कोई भी परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यकम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।

(iii) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यकम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी।

कं0	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	750	1,000
3.	9 वीं से 12 वीं	1,000	1,500
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी0ए0/बी0एस0सी0/ बी0कॉम/ डिप्लोमा आदि	1,500	2,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम0ए0/एम0एस0सी0/ एम0कॉम0/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	2,500	3,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यकम में अध्ययनरत होने पर	3,000	4,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी0एच0डी0 या शोध कार्य करने पर	4,000	[illegible],000

(iv) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रता :–**

(i) पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के कक्षा पहली से चौथी तक अध्ययनरत सभी पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी तथा कक्षा 5वीं एवं उससे ऊपर की परीक्षाओं में किसी भी स्तर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों, को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता प्रदाय की जावेगी।

(ii) यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

(iii) ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नही उठा सकता है।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–**

(i) योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत किए जावेंगे।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

(i) विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार सूची (मण्डल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र क्रमांक [illegible] करते हुए)

संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(ii) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृति हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा। सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा।

(ई) भुगतान की प्रकिया :–

(i) सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त सूची अनुशंसा पत्र सहित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रेषित करेंगे।

(ii) इस अनुशंसा के आधार पर मण्डल द्वारा स्वीकृत राशि का एकाउन्ट पेयी चेक सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रेषित किया जावेगा।

(iii) संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत राशि पात्र छात्रों को वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

(फ) अन्य विवरण :–

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना 2010 होगा।

(ii) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में समग्र रूप से रूपये 25,000/– अनुग्रह राशि तथा रूपये 5,000 अंत्येष्टि सहायता राशि स्वीकृत की जावेगी।

(iii) सामान्य दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि सहायता नगद प्रदान की जायेगी। किन्तु अनुग्रह राशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा मण्डल की स्वीकृति पश्चात् प्रदान की जावेगी।

(iv) दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1,00,000/–रू0 तथा अपंगता की स्थिति में 75,000/–रू0 की राशि स्वीकृत की जावेगी। इस राशि की स्वीकृति करते समय दुर्घटना स्थल पर कार्य की पर्याप्त जांच तथा अपंगता का स्पष्ट प्रमाण लिया जावेगा।

(v) हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुये किसी भी मृत्यु को दुर्घटना माना जावेगा।

(vi) ऐसे प्रकरण स्वीकृति के पूर्व सहमति हेतु संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अनुमोदन के लिए संपूर्ण दस्तावेज के साथ भेजा जाना होगा।

(vii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

(ii) निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।

(iii) अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रवों या पदार्थो के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने की उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक–दूसरे से हुई मार–पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में प्रदान नही की जावेगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) उत्तराधिकारी की ओर से निर्माण श्रमिक की मृत्यु के तीन माह तक संबंधित क्षेत्राधिकारिता के [illegible] श्रमायुक्त/श्रम

पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

(ii) आवेदन पत्र की जांच करने पर सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुशंसा कर अनुग्रह राशि स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को पेषित किया जावेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रूपये 5,000/– अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर नगद दिए जाने का अधिकार होगा।

(ii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुग्रह राशि हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए गए आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव को होगा।

(ई) भुगतान की प्रकिया :–

(i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रूपये 5,000/– अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर नगद दी जावेगी।

(ii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुग्रह राशि हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए गए आवेदनों को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा स्वीकृत कर संबंधित श्रम कार्यालय को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

(iii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा उक्त स्वीकृत अनुग्रह राशि हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जावेगी। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं

आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके माता/पिता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन संबके नही होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा, को राशि का भुगतान किया जावेगा।

(फ) अन्य विवरण :—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 4.03.2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी ।
(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / / 5242 रायपुर, दिनांक 27/11/12

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है; कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय
//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक / /2012

कमांक एफ 10–4/2010/16:–"भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित" छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना कमांक एफ 10–4/2010/16, रायपुर, दिनांक 04.03.2010 में हितग्राहियों के लिए सामूहिक विवाह योजना में निम्नांकित संशोधन अंत:स्थापित करती है :–

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया:–

(i) आवेदिका को विवाह के प्रस्तावित तिथि के पूर्व आवेदन करना होगा ।

उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क. एफ 10–4/2010/16 रायपुर दिनांक 3 /7/ 2012

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग,मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ.ग.)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी /सहायक श्रम पदाधिकारी.........................(छ.ग.)
8. उपसंचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ.ग.)
9. उपसंचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

—: अधिसूचना :—

रायपुर,दिनांक 26 / 08 / 2010

क्रमांक एफ 10—24 / 2010 / 16: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा--शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमाक एफ 10 4 / 2010 / 16 में हितग्राहियों के लिए उल्लेखित योजनाओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:

(1) सामूहिक विवाह योजनाः—

(द) स्वीकृति का अधिकारः—

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(ई) भुगतान की प्रक्रियाः—

(iv) हिताधिकारियों को दिए जाने वाले चेक निम्नांकित द्वारा हस्ताक्षरित किए जावेंगे :—

(क) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित है, सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा चेक हस्ताक्षरित होगा। साथ ही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग रायगढ़ जिले में उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के भी हस्ताक्षर चेक में होंगे।

(ख) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित हैं, किन्तु औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्यालय नहीं हैं, उन जिलों में श्रम अधिकारियों के साथ—साथ कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ श्रम निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे।

(ग) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित नहीं है, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिले के लिए पदस्थ श्रम निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।

(2) <u>प्रसूति सहायता योजना</u> :–

(द) स्वीकृति का अधिकारः–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(ई) भुगतान की प्रक्रियाः–

(iv) हिताधिकारियों को दिए जाने वाले चेक निम्नांकित द्वारा हस्ताक्षरित किए जावेंगे :–

(क) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित है, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा चेक हस्ताक्षरित होगा। साथ ही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग रायगढ़ जिले में उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के भी हस्ताक्षर चेक में होंगे।

(ख) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित हैं, किन्तु औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्यालय नहीं हैं, उन जिलों में श्रम अधिकारियों के साथ–साथ कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ श्रम निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे।

(ग) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित नहीं है, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिले के लिए पदस्थ श्रम निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।

(3) <u>छात्रवृत्ति योजना</u> :–

(द) स्वीकृति का अधिकारः–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(ई) भुगतान की प्रक्रियाः–

(iv) हिताधिकारियों को दिए जाने वाले चेक निम्नांकित द्वारा हस्ताक्षरित किए जावेंगे :–

(क) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित है, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा चेक हस्ताक्षरित होगा। साथ ही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग रायगढ़ जिले में उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के भी हस्ताक्षर चेक में होंगे।

(ख) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित हैं, किन्तु, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्यालय नहीं हैं, उन जिलों में श्रम अधिकारियों के साथ–साथ कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ श्रम निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे।

(ग) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित नहीं है, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिले के लिए पदस्थ श्रम निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।

उपरोक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 10–24 / 2010 / 16, रायपुर, दिनांक: 26 / 08 / 2010.

प्रतिलिपिः–

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग।

2 निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग ।

3 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।

4 श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।

5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर।

6 कलेक्टर, जिला, ... ।

7 संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर।

8 उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला रायपुर/ बिलासपुर /दुर्ग/रायगढ़ ।

9 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10 नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर अधिसूचना की एक प्रति संलग्न प्रेषित कर उक्त अधिसूचना की 100 प्रतियां छपवाने का कष्ट करें।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग